उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 2016)

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR ACT, 2016

(U.P. Act No. 9 of 2016)

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016]

यू0 पी0 अधिनियम सं0 36, 2018

यू0 पी0 अधिनियम सं0 25, 2021

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 21 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 22 मार्च, 2016 को प्रकाशित हुआ।]

लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरूद्ध रहे हों, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ––

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :––

(क) "लोकतंत्र सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासियों से है, जिन्होंने आपातकालीन अवधि अर्थात दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में राजनैतिक आधार पर इस अवधि के दौरान किसी भी समय पर निरूद्ध रहे हों ;

(ख) "निःशुल्क चिकित्सा सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से है जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित है ;

(ग) "निःशुल्क परिवहन सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा से है ;

(घ) "सम्मान राशि" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को दी जाने वाली ऐसी सम्मान राशि से है, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

यह अधिनियम कतिपय व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

3–इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे :––

(1) राजनैतिक आधार से भिन्न आधार पर कारागार में निरूद्ध व्यक्ति।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिये असत्य विवरण या सूचना या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो ।

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

सम्मान राशि स्वीकृत करने का अधिकार

4–(1) इस अधिनियम के अधीन कोई सम्मान राशि परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी ।

(2) सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् सीधे कर दिया जायेगा ।

(3) (एक) लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन निरूद्ध रहा हो । उसके लिये इस रूप में प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होंगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी ;

(दो) जिन लोकतंत्र सेनानियों के अभिलेख जिला कारागार में उपलब्ध नहीं है अथवा नष्ट हो गये है, उनके प्रकरणों पर विचार करते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी आवश्यक सत्यापन के उपरान्त अन्य उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों से अपना यह समाधान कर लेंगे कि आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक, में लोकतंत्र की रक्षा हेतु आपातकाल के विरोध में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन सम्बन्धित धाराओं में आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई हो एवं उसकी गिरफतारी/निरूद्धि की पुष्टि होती हो ;

(तीन) जिन लोकतंत्र सेनानियों के विरूद्ध मीसा/डी0आई0आर0 के अतिरिक्त अन्य दांडिक धारायें भी लगी हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से यह समाधान कर लेंगे कि ऐसी अन्य धारायें आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष करते समय आपातकाल के विरोध में लगी हो तथा गिरफतारी/निरूद्धि राजनैतिक कारणों से इतर न रही हो ;

(चार) जिन मामलों में आवेदनकर्ता एक से अधिक जिलों से सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित जिलाधिकारी उनसे इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा केवल एक ही जिले से आवेदन किया गया है तथा इसकी पुष्टि भी संबंधित जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी से कर लेंगे ;

(पांच) जो लोग वर्ष 2006–2007 में लोकतंत्र सेनानी घोषित है और उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि नियमावली, 2012 दिनांक 14.09.2012 के निर्गत होने के पश्चात् और दिनांक 30.12.2013 अर्थात संशोधित नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये है, उन्हें दिनांक 01.04.2012 से सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी तथा जो लोग ऊपर उल्लिखित संशोधित नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक के बाद नये लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये है, उन्हें आवेदन पत्र के स्वीकृति के दिनांक से लोकतंत्र सेनानी मानते हुए सम्मान राशि दी जाए ।

(4) यदि किसी लोकतन्त्र सेनानी की मृत्यु दिनांक– 01.04.2012 के पश्चात् और इस योजना के लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो ऐसे मामले में उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितनी अवधि तक लोकतन्त्र सेनानी दिनांक 01.04.2012 के बाद जीवित रहा ।

(5) लोकतन्त्र सेनानी को एक परिचर सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी।

(6) राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्यालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा, जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जॉचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित है और चिकित्सा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश प्रभावी होंगे ।

(7) सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता किसी बैंक की उस शाखा में, जहॉ वह रहता है, खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी ।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे । बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और बैंकवार धनराशि का विवरण संलग्न किया जायेगा । तत्पश्चात् इन विवरणों के अनुसार ही सम्बन्धित कोषागार, सम्मान राशि पाने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता में सीधें सम्मान राशि जमा करेगा । किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा ।

(9) सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा सुसंगत नियमो के अनुसार उनका लेखा परीक्षण कराना होगा ।

सम्मान राशि निरस्त करना

5–इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये व बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है : ––

(एक) नैतिक अधमता के अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण ;

(दो) राजनैतिक दण्ड को छोड़कर किसी अन्य अपराध में दण्डित होने के कारण ;

(तीन) धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उल्लिखित अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करने के कारण ;

(चार) असत्य सूचना और असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के कारण ।

लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु की दशा में

6–(1) लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा ।

[1][परन्तु ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अर्थात् दिनांक 22 मार्च, 2016 के पूर्व जिनकी मृत्यु हो गयी थी, की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और सुविधाए, इस अधिनियम के अधीन, मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को उनके इस प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेगी।]

[2][परन्तु यह और कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति ऐसे लोकतंत्र सेनानी के मृत्यु होने के पश्चात अगले दिवस से इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और अन्य सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगी/होगा, किन्तु ऐसा आवेदन, ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के भीतर किये जाने की अपेक्षा की जायेगी :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 36, 2018 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह भी कि यदि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति द्वारा सम्मान राशि और अन्य सुविधाओं के लिये पूर्वोक्त आवेदन, लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के तीन माह के पश्चात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्मान राशि और अन्य सुविधायें उक्त आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।**]**

(2) किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उसकी अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ की जायेगी ·

सम्मान राशि हेतु आवेदन करने की रीति

7–(1) इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि स्वीकृति के लिये आवेदन–पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) आवेदक द्वारा कारागार में निरूद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन–पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) राज्य सरकार किसी भी प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, जॉच करा सकती है ।

सम्मान राशि की वसूली

8–(1) धारा 5 के अधीन किसी आवेदक की सम्मान राशि के निरस्त किये जाने की दशा में सम्मान राशि की वसूली उससे भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

(2) सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी सम्मान राशि की स्वीकृति में हुई किसी अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा ।

नियम बनाने का अधिकार

9–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

कठिनाईयो को दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक व समीचीन समझे, प्रभावी होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

विखण्डन और विधिमान्यकरण

11–(1) सरकारी अधिसूचना संख्या 800(1)जेड/6–एस0ए0–1–2012–55जी/90, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 में जारी उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि सम्बन्धी नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली दिनांक 30.12.2013 एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है ।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान् समय प्रवृत्त था ।

परिशिष्ट "क"

धारा–4 (1) देखिये

देश में आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से प्रारम्भ होकर दिनांक 21.03.1977 को समाप्त होने वाली अवधि, के दौरान प्रदेश के निरूद्ध राजनैतिक बन्दियों द्वारा सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

1. आवेदक का नाम .....

2. पिता का नाम .....

3. पूरा पता : स्थायी पता .....

   स्थानीय पता .....

4. क्या आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है ? .....

5. जेल मे निरूद्ध रहने की अवधि .....(निरूद्ध होने तथा मुक्त होने की तिथि)

6. निरूद्ध रहने का स्थान तथा जिले ..... का नाम जहॉ यह स्थित है .....

7. कार्यकलापों का विवरण जिसमें .....

   वह निरूद्ध किया गया .....

   (यह प्रमाण पत्र जेल, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।)

8. धाराएं जिनके अधीन जेल में निरूद्ध किया गया .....

9. निरूद्ध किये जाने से सम्बन्धी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियॉ .....

10. ऊपर मद संख्या–7 में दिये गये विवरण का साक्ष्य .....

(यह प्रमाण–पत्र भूतपूर्व या वर्तमान दो विधायकों/संसद सदस्यों/दो ऐसे लोकतन्त्र सेनानी जिनको लोकतन्त्र सम्मान राशि स्वीकृत हो चुकी है और जो आवेदक के साथ सहबंदी (कोप्रिजनर) रहें हो, द्वारा दिया जायेगा, जिसमें आपातकालीन अवधि के दौरान राजनैतिक कारणों से भोगी गयी जेल की अवधि निर्दिष्ट हो)।

एतद्द्वारा मै प्रमणित करता हूँ कि ऊपर मद संख्या–7 में दिये गये विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी और सूचना के अनुसार सही है ।

प्रमाणकर्ता व्यक्तियों के हस्ताक्षर,

पद तथा पूरा पता ।

(1) .....

(2) .....

आवेदक द्वारा शपथ–पत्र

एतद्द्वारा मै सत्य–निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत पाया जाय, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी सम्मान राशि निरस्त कर दे और, उसे भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय ।

आवेदक के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

प्रमाण–पत्र

संख्या ..... दिनांक .....

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये विवरणों की जॉच कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है ।

नोट : (1) जिलाधिकारी

(2) मुहर

उद्देश्य और कारण

आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977) के दौरान असंख्य व्यक्तियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष किया था, जिससे कि लोकतंत्र की बहाली हो सकी । आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुये संघर्ष करने एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे उत्तर प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह सम्मान राशि, राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु वर्ष 2006 में सर्वप्रथम नियमावली बनायी गयी, जो दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावी थी। राज्य सरकार की राय है कि उक्त व्यक्तियों को उक्त सुविधाएं प्रदान की जायेगी। अतएव अब यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर उत्तर प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों, जिन्होने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरूद्ध रहे हों, का सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है ।